न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 592/2023

गिरधारीराम पुत्र मगनाराम व अन्य
बनाम
खीयाराम पुत्र केहनाराम वगैरा

दिनांक 04.12.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 42/2014 अनवान खीयाराम व अन्य बनाम मगनाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.5.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसील नोखड़ा स्थित ग्राम किशनपुरा के खसरा नं0 217/1, 294/2, 296/2, 297 एवं 217/2, 218, 289, 294/3, 296/3 अपीलांट्स की खातेदारी भूमि है। जिसके चारों तरफ वक्त सेटलमेंट से माठे आदि बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 4–प्रार्थी–खीयाराम वगैरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, तहसील नोखडा स्थित ग्राम किशनपुरा के खसरा नं0 298 रकबा 58 बीघा की नेखमबंदी हेतु यह आग्रह किया कि उक्त खसरे के पडौसी खसरान की सेठे व माठे आंधियॉ चलने से विखर गये है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को सही सेठो का ज्ञान नही होने से विप्रार्थीगण–अपीलांट्स बरसात के समय प्रार्थी–रेस्पो0 के खसरान की माठों को तोड कर जबरदस्ती प्रार्थी की कब्जासुदा खातेदारी भूमि पर काश्त कर लेते है। इस विवाद से निजात हेतु प्रार्थी–रेस्पो0 के खसरान की नेखमबंदी करवाने का आदेश फरमावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये एवं विप्रार्थीगण–अपीलांट्स को बिना प्रोपर नोटिस तामिल करवाये पत्रावली लोक अदालत केम्प में दिनांक 19.5.15 ले जाकर बिना सीमाज्ञान एवं पेमाईश रिपोर्ट के सीधे ही नेखमबंदी का आदेश पारित कर दिया गया। दिनांक 8.5.15 को आदेशिका आगामी सुनवाई दिनांक 19.5.15 हेतु तब्दील नही की गई, अर्थात इस तारीख को आदेशिका ही नही लिखी गई। दिनांक 8.5.15 से पेशी दिनांक 19.5.15 को कब रखी गई, इसका आदेशिका में कोई हवाला नही है। प्रकरण में अपीलांट्स के नाम जारी नोटिस तामिल नही हुए। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि नोटिस जारी

करने एवं तामिलसुदा नोटिस प्राप्त होने के बीच 8 माह का अन्तर है, ऐसी स्थिति में उक्त तामिल संदेहास्प्रद होने से तामिली नही मानी जावेगी। अपीलांट्स की खातेदारी भूमि रेस्पो0 के खसरान के पडौस में स्थित होने से वह पडौसी खातेदार है। रेस्पो0 अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स की खातेदारी भूमि पर कब्जा करना चाहते है। आरएलआर एक्ट की धारा 111, 128 में आवेदित भूमि की निर्विवाद सीमाज्ञान रिर्पोट आवश्यक है, जब तक सीमाज्ञान नही हो जाता, तब तक पक्के नेखम स्थापित नही किए जा सकते है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 6.6.23 को तहसीलदार द्वारा बिना नोटिस/सूचना दिये वादग्रस्त खसरान की नेखमबंदी हेतु अपीलांट के कब्जे वाले भाग पर सीमा चिन्ह कायम करने का प्रयास किया गया, जिसमें आपसी विवाद के कारण नेखमबंदी की कार्यवाही सम्पन्न नही हुई।

वकील अपीलांट्स द्वारा यह भी निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.5.15 को पारित किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार नोखडा द्वारा ग्राम किशनपुरा के वादग्रस्त खसरा नं0 298, 298/1 की मौका फर्द एवं पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 6.6.23 को तैयार की गई। उक्त समस्त कार्यवाही अपीलांट को बिना सूचना/ नोटिस व बिना सुनवाई के की गई है, जो काबिल निरस्त के है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.5.15 निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम किशनपुरा के खसरा नं0 298 रकबा 58 बीघा का कब्जाकाश्त खातेदार है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत सेढा–सेढ स्थित है, जिनकी मुरानी मांठे एवं कणे आंधियों से विखर जाने के कारण सेढों का सही ज्ञान नही होने से कब्जाकाश्त को लेकर विवाद रहता है। इस कारण उसने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पक्की नेखमबंदी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। दिनांक 28.1.14 को विप्रार्थीगण–अपीलांट्स को जारी किए गय नोटिस की तामिली का उल्लेख आदेशिका दिनांक 4.12.14 में किया हुआ है। प्रकरण की सुनवाई लोक अदालत/केम्प कोर्ट में करने हेतु दिनांक 10.5.15 को नोटिस जारी किया गया, जो तामिल सुदा है, वक्त सुनवाई केम्प कोर्ट में विप्रार्थीगण–अपीलांट्स अनुपस्थित रहे। प्रार्थी अपने खसरान की नेखमबंदी करवाने का अधिकारी है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 सं0 7 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विप्रार्थीगण के नोटिस दिनांक 28.1.14 को जारी करने का उल्लेख आदेशिका दिनांक 24.1.14 के अहकाम में अंकित है व इनकी तामिली आदेशिका दिनांक 4.12.14 में उल्लेखित है। पत्रावली में केम्प कोर्ट की सूचना तामिलसुदा संलग्न है, जिसमें प्रार्थी–खीयाराम एवं विप्रार्थी–मगनाराम की ही तामिली अंकित है, शेष पक्षकारों की तामिली अंकित नही है। इसके अलावा प्रकरण में नेखमबंदी आदेश जारी करने से पूर्व निर्विवाद सीमांकन रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अभाव पाया गया। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 6.6.23 की प्रमाणित प्रति के अनुसार अपीलाधीन आदेश की पालना में नेखमबंदी की कार्यवाही पक्षकारान में विवाद होने के कारण पुलिस इमदाद द्वारा संभव होना बताया गया है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन सं0 42/2014 अनवान खीयाराम व अन्य बनाम मगनाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.5.15 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्टगण तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

04.12.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर